समाहरणालय शिवहर

(राजस्व प्रशाखा)

पत्रांकः– /रा0 शिवहर, दिनांकः–

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
शिवहर।

सेवा में,

श्री अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना।

विषयः– बिहार विधान सभा की प्रकिया एवं कार्यसंचालन का नियम 04 (2) के अन्तर्गत श्री संजय सरावगी एवं अन्य माननीय सदस्य, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 5425 दिनांक 05.03.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में बिहार विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन का नियम 104(2) के अन्तर्गत श्री संजय सरावगी एवं अन्य माननीय सदस्य, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के सन्दर्भ में निम्न पृच्छा का उत्तर सामग्री निम्न प्रकार हैः–

पृच्छा	उत्तर
''भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम् न्यायालय के आदेश देश के सभी भू–भाग में मान्य है। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने सिविल वाद संख्या–4850/2021 के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया है कि देश के मठ/मंदिरों की परिसम्पतियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। वह राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अन्तर्गत पूरे राज्य में मठ/मंदिरों के नाम पर निबंधित एवं अनिबंधित 30,000 (तीस हजार) एकड़ भूमि है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि है, जिसमें अधिकांश भूमि स्थानीय लोगों के अवैध कब्जा में है। अतः उक्त भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराकर उसकी ब्रिकी पर रोक लगाने एवं मठ/मंदिरों के नाम पर अनिबंधित भूमि को समयबद्व अभियान चलाकर निबंधन कराने तथा भूमि को पैमाईश कराकर पिलरिंग कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।''	शिवहर जिला में धार्मिक न्यास पर्षद पटना के अधीन 21 (इक्कीस) निबंधित मठ/मंदिर है, जिसके भूमि का कुल रकवा 223.88 एकड़ है। यथा– शिवहर अंचल में निबंधित मठ/मंदिर की भूमि का कुल रकवा–59.89 एकड़, पुरनहिया अंचल में निबंधित मठ/मंदिर की भूमि का कुल रकवा–65.25½ एकड़, पिपराही अंचल में निबंधित मठ/मंदिर की भूमि का कुल रकवा–19.43 एकड़, डुमरी कटसरी अंचल में निबंधित मठ/मंदिर की भूमि का कुल रकवा–44.96 एकड़ तथा तरियानी अंचल में निबंधित मठ/मंदिर की भूमि का कुल रकवा–34.34½ एकड़ जमाबन्दी पर दर्ज है। साथ ही गैर निबंधित मठ/मंदिर को चिन्हित करने की कार्रवाई प्रकियाधीन है, अबतक 04 गैर निबंधित मठ/मंदिर पिपराही अंचल में चिन्हित किया गया है, जिसमें कुल रकवा 31.73½ एकड़ सन्हित है। मठ/मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा चिन्हित कर 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजने का निदेश सभी अंचल अधिकारी, शिवहर जिला को दिया गया है, जिसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सभी अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न की जा रही है।

अनु0ः–यथोक्त

विश्वासभाजन
ह0/–
जिला पदाधिकारी
शिवहर।

ज्ञापांकः– 163 /रा0, शिवहर, दिनांकः– 06/03/2022

प्रतिलिपिः–आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1255/जे0 दिनांक 05.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
शिवहर।